रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 352] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 1998/भाद्र 17, 1920
No. 352] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 1998/BHADRA 17, 1920

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1998

सा.का.नि. 564 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात:—

1. इन नियमों का नाम उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1998 है।

2. उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम , 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम 01 जनवरी, 1996 को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"3. वेतन - अध्यक्ष छब्बीस हजार रुपऐ प्रतिमास के वेतन और एक हजार रुपए प्रतिमास के विशेष भत्ते का हकदार होगा, उपाध्यक्ष छब्बीस हजार रुपये प्रतिमास के वेतन का हकदार होगा तथा सदस्य 22400-600-26000 रुपये प्रतिमास के वेतनमान में वेतन का हकदार होगा :

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के मामले में , जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा-निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य-सरकार के अधीन सेवा से सेवा-निवृत्त हुआ है या जो पेंशन या उपदान या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा -निवृत्ति फायदे या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है तो उसके वेतन से उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति फायदे, यदि कोई हों कि सकल रकम कम कर दी जाएगी, किन्तु इसमें से उसके द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने वाले सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन कम नहीं की जाएगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 01 जनवरी, 1996 को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"4. महंगाई-भत्ता- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप, ऐसी दरों पर महंगाई भत्ते के हकदार होंगे जो 22400-600-26000 रुपए या उसके ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकरियों को अनुज्ञेय है।"

4. उक्त नियमों में - (क) नियम 4क के स्थान पर निम्नलिखित नियम 16 दिसम्बर, 1988 से 31 जुलाई, 1997 तक प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"4क. नगर प्रतिपूर्ति भत्ता - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप ऐसी दरों पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के हकदार होंगे जो 7300-100-7600 रुपए या उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को अनुज्ञेय है।"

(ख). यथा संशोधित नियम 4क के स्थान पर निम्नलिखित नियम 01 अगस्त, 1997 को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"4क. नगर प्रतिपूर्ति भत्ता - अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप ऐसी दरों पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के हकदार होंगे जो 22400-600-26000 रुपये या उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं।"

5. उक्त नियमों के नियम 6 के उप नियम (3) में, "240" अंको के स्थान पर "300" अंक 01 जुलाई, 1997 को प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 01 अक्तूबर, 1997 को प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:—

"11. छुट्टी-यात्रा-रियायत - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य, उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापमानों और उन्हीं शर्तों पर जो 22400-600-26000 रुपए या उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों के संबंध में लागू है, छुट्टी-यात्रा-रियायत का हकदार होगा।"

स्पष्टीकारक टिप्पण :—

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, छुट्टी, छुट्टी-यात्रा रियायत तथा उन्हें अनुज्ञेय अन्य भत्तों के संबंध में पाँचवे केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशें लागू करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने भिन्न-भिन्न प्रभावी तारीखों से निर्णय लिए हैं। उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को अनुज्ञेय वेतन और अन्य भत्ते आदि के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापमानों और उन्हीं शर्तों पर वेतन और भत्ते का पुनरीक्षण अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में अनुज्ञेय है। अतः नियमों में संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से किया जाना अपेक्षित है। नियम 4 को संशोधित करने की आवश्यकता, दिनांक 24 जुलाई, 1990 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 32 (अ) में संशोधन करते समय नियम 4क को संशोधित न करने की भूलवश त्रुटि को सुधारने के लिए पड़ी। नियमों के उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 935 (अ), तारीख 4 जुलाई, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित सं. द्वारा संशोधन किए गए :—

(1) सा.का.नि. 423 (अ) दिनांक 4-4-1988

(2) सा.का.नि. 32 (अ) दिनांक 24-1-1990

(3) सा.का.नि. 500 (अ) दिनांक 07-6-1994

[ए-11014/20/98-प्र.अ.]

आर. के. टंडन, सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 1998

G.S.R. 564 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman Vice-Chairman an Members) Rules, 1986, namely :—

1. These rules may be called the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1998.

2. In the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowance and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be deemed to have been substituted on the 1st day of January, 1996, namely :—

"3. Pay.—The Chairman shall be entitled to a pay of twenty six thousand rupees plus an special allowance of one thousand rupees per mensem, a Vice-Chairman shall be entitled to a pay of twenty six thousand rupees per mensem and a Member shall be entitled to a pay in the scale of pay of Rs, 22,400-600-26,000 per mensem :

Provided that in the case of appointment as a Chairman, a Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of High Court of who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension or gratuity of employer's contribution to the contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pension equivalent to gratuity or employer's contribution to the contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent to retirement gratuity, drawn of to be drawn by him."

3. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 1996, namely:—

"4. Dearness allowance.—The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above."

4. In the said rules —

(a) for rule 4A, the following rule shall be deemed to have been substituted with effect from the 16th day of December, 1988 and till the 31st day of July, 1997, namely :—

"4A. City compensatory allowance.—The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to city compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 7300-100-7600 or above."

(b) for rule 4A as so amended, the following rule shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of August, 1997, namely:—

"4A. City compensatory allowance.—The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to city compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above,"

5. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (3), for the figures "240", the figures "300" shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 1997.

6. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be deemed to have been substituted on the 1st day of October 1997, namely :—

"11. Leave Travel Concession.—The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales and on the same conditions as are admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above.,".

Explanatory note.—With a view to implement the recommendations of the Fifth Central Pay commission regarding Central Government employees the scales of pay, leave, leave travel concession and other allowances admissible to them, the Central Govenment took decisions for different effective dates. In respect of pay and other allowances etc. admissible to the Chairman, Vice-Chairman an Members of the Orissa Administrative Tribunal, central Government decided to allow the revision of pay and allowances at the same rates, at the same scales and on the same conditions as are admissible to the central Government employees. Therefore, the amendments in the rules are to be given a retrospective effect. Amendment vide rule 4 has been necessitated to rectify the mistake crept inadvertently while amending the rules vide notification number G.S.R. No. 32 (E), dated the 24th July, 1990 by not amending the rule 4A. By giving this retrospective effect to the provisions of these rules, no one is likely to be affected adversely.

Foot note.—The principal rules were published vide notification No. G.S.R. 935 (E), dated the 4th July, 1986 and subsequently amended vide No,—

(1) G. S. R. 432 (E), dated 4-4-1988.

(2) G. S. R. 32 (E), dated 24-1-1990.

(3) G. S. R. 500 (E), dated 7-6-1994.

[A-11014/20/98-AT]

R. K. TANDON, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1998

सा.का.नि. 565 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात:—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1998 है।

2. महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम , 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम 01 जनवरी, 1996 को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"3. वेतन - अध्यक्ष छब्बीस हजार रुपऐ प्रतिमास के वेतन और एक हजार रुपए प्रतिमास के विशेष भत्ते का हकदार होगा, उपाध्यक्ष छब्बीस हजार रुपये प्रतिमास के वेतन का हकदार होगा तथा सदस्य 22400-600-26000 रुपये प्रतिमास के वेतनमान में वेतन का हकदार होगा :

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के मामले में , जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा-निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवा-निवृत्त हुआ है या जो पेंशन या उपदान या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा -निवृत्ति फ़ायदे या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है तो उसके वेतन से उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति फायदे, यदि कोई हों कि सकल रकम कम कर दी जाएगी, किन्तु इसमें से उसके द्वार प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने वाले सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन कम नहीं की जाएगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 01 जनवरी, 1996 को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"4. महंगाई-भत्ता- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप, ऐसी दरों पर महंगाई भत्ते के हकदार होंगे जो 22400-600-26000 रुपए या उसके ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकरियों को अनुज्ञेय है।"

4. उक्त नियमों में यथा संशोधित नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 01 अगस्त, 1997 को अन्त: स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"4क. नगर प्रतिपूर्ति भत्ता - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप ऐसी दरों पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के हकदार होंगे जो 22400-600-26000 रुपए या उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है।"

5. उक्त नियमों के नियम 6 में उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम 01 जुलाई, 1997 को प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(3) अधिकरण में अपनी पदावधि की समाप्ति पर अध्यक्ष ,

उपाध्यक्ष, या कोई सदस्य अपने नाम में जमा उपार्जित छुट्टी की बाबत छुट्टी सम्बलम, के समतुल्य नकद प्राप्त करने का हकदार होगा; परन्तु इस उप नियम और नियम 5 के उप नियम (2) के खण्ड (ii) के अधीन छुट्टी की मात्रा जिसकी नकद रकम प्राप्त की गई है तीन सौ दिनों से अधिक नहीं होगी।"

6. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 01 अक्तूबर, 1997 को प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:—

"11. छुट्टी-यात्रा-रियायत —अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य, उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापमानों और उन्हीं शर्तों पर जो 22400-600-26000 रुपए या उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों के संबंध में लागू है, छुट्टी-यात्रा-रियायत का हकदार होगा।"

स्पष्टीकरण टिप्पण :—

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, छुट्टी, छुट्टी-यात्रा - रियायत तथा उन्हें अनुज्ञेय अन्य भत्तों के संबंध में पाँचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने भिन्न-भिन्न प्रभावी तारीखों से निर्णय लिए हैं। महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को अनुज्ञेय वेतन और अन्य भत्ते आदि के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापमानों और उन्हीं शर्तों पर वेतन और भत्ते का पुनरीक्षण अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में अनुज्ञेय है। अतः नियमों में संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से किया जाना अपेक्षित है। नियमों के उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[ए-11014/18/98-प्र.अ.]

आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1157 (अ), तारीख 21 अक्तूबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित सं. द्वारा संशोधन किए गए :—

(1) सा.का.नि. 71 (अ) दिनांक 30-1-1992

(2) सा.का.नि. 288 (अ) दिनांक 01-3-1994

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 1998

G.S.R. 565 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman an Members) Rules, 1986, namely :—

1. These rules may be called the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1998.

2. In the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowance and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be deemed to have been substituted on the 1st day of January, 1996, namely :—

"3. Pay.—The Chairman shall be entitled to a pay of twenty six thousand rupees plus a special allowance of one thousand rupees per mensem, a Vice-Chairman shall be entitled to a pay of twenty six thousand rupees per mensem and a Member shall be entitled to a pay in the scale of pay of Rs, 22,400-600-26,000 per mensem :

Provided that in the case of appointment as a Chairman, a Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension or gratuity of employer's contribution to the contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pension equivalent to gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent to retirement gratuity, drawn or to be drawn by him."

3. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 1996, namely:—

"4. Dearness allowance.—The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above.".

4. In the said rules, after rule 4 as so amended, the following rule shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of August, 1997 namely:—

"4A. City compensatory allowance.—The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to city compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above.".

5. In the said rules, in rule 6, for sub-rule (3), following sub-rule shall be substituted w.e.f. the 1st day of July, 1997, namely:—

"(3) On the expiry of his term of office in the Tribunal, the Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit provided that the quantum of leave encashed under this sub-rule and clause (ii) of sub-rule (2) of rule 5 shall not exceed 300 days."

6. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be deemed to have been substituted on the 1st day of October 1997, namely :—

"11. Leave Travel Concession.—The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales and on

the same conditions as are admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above.".

Explanatory note.—With a view to implement the recommendations of the Fifth Central Pay Commission regarding Central Government employees the scales of pay, leave, leave travel concession and other allowances admissible to them, the Central Government took decisions for different effective dates. In respect of pay and other allowances etc. admissible to the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Maharashtra Administrative Tribunal, Central Government decided to allow the revision of pay and allowances at the same rates, at the same scales and on the same conditions as are admissible to the Central Government employees. Therefore, the amendments in the rules are to be given a retrospective effect. By giving this retrospective effect to the provisions of these rules, no one is likely to be affected adversely.

[A-11014/18/98-AT]

R. K. TANDON, Jt. Secy.

Foot note.—The principal rules were published vide notification No. G.S.R. 1157 (E), dated the 21st October, 1986 and subsequently amended vide No,—

(1) G. S. R. 71 (E), dated 30-1-1992.

(2) G. S. R. 288 (E), dated 1-3-1994.

2446 GI/98-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 -- 1998.